मेन्स मास्टर

भारत के संशोधित आपराधिक कानून प्रस्ताव

संदर्भ यह लेख भारत में पुराने आपराधिक कानूनों को बदलने के उद्देश्य से तीन संशोधित विधेयकों की शुरुआत पर चर्चा करता है, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता और अत्यधिक अपराधीकरण संबंधी चिंताओं पर संभावित प्रभावों के बारे में आलोचनाओं को संबोधित करते हुए परिभाषाओं, दंडों और प्रक्रियात्मक पहलुओं में महत्वपूर्ण बदलावों पर प्रकाश डाला गया है।

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023

• **आतंकवादी अधिनियम की परिभाषा:** संशोधित विधेयक गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) से 'आतंकवादी अधिनियम' की परिभाषा को अपनाता है। यह देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले विभिन्न कृत्यों को कवर करने के लिए परिभाषा को व्यापक बनाता है।

• **महिलाओं के खिलाफ क्रूरता परिभाषित:** विधेयक में महिलाओं के खिलाफ उनके पतियों या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के एक परिभाषित रूप का प्रस्ताव है, जिसमें अधिकतम तीन साल की जेल की सजा हो सकती है। यह उन कृत्यों पर प्रकाश डालता है जो किसी महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकते हैं या गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचा सकते हैं।

• **अदालती कार्यवाही का अनधिकृत प्रकाशन:** यह बलात्कार या यौन उत्पीड़न के मामलों में अदालती कार्यवाही से संबंधित किसी भी मामले को बिना अनुमति के छापने या प्रकाशित करने पर रोक लगाता है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर रिपोर्ट को इस प्रावधान से बाहर रखा गया है।

• **'मानसिक बीमारी' को प्रतिस्थापित किया गया:** अधिकांश प्रावधानों में 'मानसिक बीमारी' शब्द को 'मन की अस्वस्थता' से प्रतिस्थापित किया गया है, साथ ही कुछ वर्गों में 'बौद्धिक विकलांगता' को भी जोड़ा गया है।

• **मॉब लिंचिंग की सजा:** विधेयक में शुरू में मॉब लिंचिंग को हत्या की एक अलग श्रेणी के रूप में माना गया था, लेकिन हत्या के लिए न्यूनतम सात साल की सजा निर्धारित करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। संशोधित संस्करण में अब मॉब लिंचिंग को हत्या के समान दंड दिया गया है।

• **व्यभिचार और धारा 377:** लिंग-तटस्थ तरीके से व्यभिचार को अपराध घोषित करने और व्यक्तियों के बीच गैर-सहमति वाले यौन संबंधों (समान-लिंग संबंधों सहित) को संबोधित करने की सिफारिशों को संशोधित विधेयक में शामिल नहीं किया गया है।

• **'छोटे संगठित अपराध' को फिर से परिभाषित किया गया**: मूल विधेयक में अस्पष्ट परिभाषा को यह निर्दिष्ट करने के लिए परिष्कृत किया गया था कि चोरी, धोखाधड़ी, टिकटों की अनधिकृत बिक्री और संगठित समूहों द्वारा किए गए इसी तरह के अपराधों को 'छोटे संगठित अपराध' माना जाता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023

• **सामुदायिक सेवा की परिभाषा:** 'सामुदायिक सेवा' की अवधारणा को छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में पेश किया गया है, जिसका लक्ष्य अपराध के लिए एक प्रतिकारात्मक दृष्टिकोण है।

• **हथकड़ी**: हथकड़ी के उपयोग का विस्तार गंभीर आर्थिक अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए किया गया है, जो न केवल गिरफ्तारी तक सीमित है बल्कि अदालत के समक्ष पेशी के चरण के दौरान भी शामिल है।

• **ऑडियो-विज़ुअल कार्यवाही:** ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों के माध्यम से अनुमत अदालती कार्यवाही के प्रकारों में बदलाव किए गए हैं, जिसमें विशिष्ट कार्यवाही के बहिष्करण और परिचय शामिल हैं।

• **पुलिस हिरासत**: गिरफ्तारी के शुरुआती 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत की अनुमति देने वाले प्रावधान ने संभावित दुरुपयोग, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्रभावित करने के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

• **निवारक हिरासत शक्तियां:** अब हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता है।

भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023

• **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता:** इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता अब धारा 63 के तहत विशिष्ट आवश्यकताओं के अधीन है, जिसका लक्ष्य प्रमाणीकरण है।

मौजूदा चिंताएँ

• **अतिअपराधीकरण**: इन संशोधित विधेयकों में व्यापक अतिअपराधीकरण को संबोधित करने में विफलता को लेकर आलोचना जारी है।

• **पुलिस की शक्तियां:** शुरुआती 15 दिनों से अधिक पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाने से संभावित पुलिस ज्यादतियों और नागरिक स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। आलोचक लंबे समय तक हिरासत में रहने के दौरान मनगढ़ंत सबूतों और जबरदस्ती की कार्रवाइयों के बढ़ते जोखिम पर प्रकाश डालते हैं।

कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की उभरती भूमिका

संदर्भ यह लेख हिंद महासागर की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (सीएससी) की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह सीएससी की उभरती गतिशीलता, भारत की रणनीतिक दृष्टि, चीन के प्रभाव और क्षेत्रीय सहयोग को प्रभावित करने वाली राजनीतिक कमजोरियों, विशेष रूप से मालदीव की हालिया अनुपस्थिति पर प्रकाश डालता है। बाधाओं के बावजूद, हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती जटिलताओं और खतरों के बीच अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करने के लिए सीएससी भारत के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

सीएससी बैठक का अवलोकन:

भाग लेने वाले सदस्य:

छठी कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव (सीएससी) बैठक के दौरान, भारत के एनएसए, अजीत डोभाल, सदस्य-राज्यों मॉरीशस, श्रीलंका और पर्यवेक्षक-राज्यों बांग्लादेश और सेशेल्स के साथ जुड़े। हालाँकि, मालदीव की अनुपस्थिति ने क्षेत्रीय सहयोग पर घरेलू राजनीतिक कारकों के प्रभाव को रेखांकित किया।

गतिशीलता का विकास:

ऐतिहासिक संदर्भ:

सीएससी की शुरुआत 2011 में श्रीलंका, भारत और मालदीव को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा पहल के रूप में हुई थी, लेकिन भारत और मालदीव के बीच बढ़ते तनाव के कारण 2014 में इसे गतिरोध का सामना करना पड़ा।

पुनरुद्धार प्रयास:

भारत ने 2020 में मॉरीशस, सेशेल्स और बांग्लादेश को शामिल करने के लिए इसके विस्तार की वकालत करते हुए सीएससी को पुनर्जीवित और संस्थागत बनाने के प्रयासों का नेतृत्व किया। यह पुनरुद्धार हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के विकसित हो रहे रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

भारत के उद्देश्य:

क्षेत्रीय सहभागिता:

भारत ने ऐतिहासिक रूप से सुरक्षा उपायों, क्षमता निर्माण और संकट प्रबंधन में द्वीप देशों की सहायता करके हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़ाने में योगदान दिया है। सीएससी भारत के लिए अपनी भूमिका को संस्थागत बनाने, क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता को प्रभावित करने और उभरते खतरों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

चीन का प्रभाव:

चीन का प्रभाव:

व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने और भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करने के उद्देश्य से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) निवेश ने हिंद महासागर क्षेत्र पर काफी प्रभाव डाला है। इसके नौसैनिक विस्तार, रक्षा संबंध और ढांचागत नियंत्रण क्षेत्रीय हितधारकों के बीच चिंताएं बढ़ाते हैं।

सीएससी की प्रतिक्रिया:

सीएससी आतंकवाद, साइबर-सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण और समुद्री कानून जैसे विभिन्न खतरों का मुकाबला करने पर केंद्रित है। समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान और तटीय सुरक्षा पर हाल के सम्मेलन सहयोगात्मक प्रयासों को प्रदर्शित करते हैं। संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना सुरक्षा क्षेत्रों में क्षमता निर्माण पर जोर देती है।

राजनीतिक गतिशीलता:

घरेलू प्रभाव:

सीएससी के भीतर सदस्य-राज्यों की भागीदारी घरेलू राजनीति के प्रति संवेदनशील है, जो मालदीव की अनुपस्थिति से स्पष्ट है। इस अनुपस्थिति को चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों या राष्ट्रवादी अभियान वादों को पूरा करने के प्रति झुकाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

राजनीतिक रणनीतियाँ:

डेमोक्रेटिक सदस्य-राज्य सीएससी ढांचे के भीतर आंतरिक और बाहरी लाभ के लिए राष्ट्रवादी और चीन समर्थक आख्यानों का उपयोग करते हैं।

निष्कर्ष:

सीएससी का महत्व:

सीएससी भारत के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है क्योंकि इसे क्षेत्रीय जिम्मेदारियों और खतरों का सामना करना पड़ रहा है। यह लगातार विकसित हो रहे इंडो-पैसिफिक परिदृश्य के बीच अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करने और स्थापित करने के लिए भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है।

अतीत की कहानियों से नाता तोड़ना

CONTEXT

यह लेख रघुराम राजन और रोहित लांबा द्वारा लिखित "ब्रेकिंग द मोल्ड: रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर" के मुख्य विषयों का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। इसमें जीवंत लोकतंत्र की वकालत करने, मात्रा से अधिक गुणवत्ता पर जोर देने, भारत की डिजिटल शक्ति का लाभ उठाने से लेकर भारत की भविष्य की आर्थिक उन्नति के लिए पारंपरिक प्रतिमानों पर पुनर्विचार करने तक कई विषय शामिल हैं।

लोकतंत्र की पुनर्कल्पना:

• जीवंत लोकतंत्र की वकालत: इस धारणा के विपरीत कि लोकतंत्र विकास में बाधा बन सकता है, पुस्तक अधिक गतिशील और जीवंत लोकतंत्र की आवश्यकता पर जोर देती है। यह रचनात्मकता और नवीनता को प्रोत्साहित करने के लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति, खुली बहस और अनादर की संस्कृति के महत्व पर जोर देता है, जो भारत की भविष्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विनिर्माण विकास:

• लो-एंड से हाई-एंड मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव: लेखक विदेशी कंपनियों के लिए लो-एंड असेंबली नौकरियों को प्रोत्साहित करने के खिलाफ तर्क देते हैं, इसके बजाय हाई-एंड विनिर्माण और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत करते हैं। वे आईडी फूड्स और लेंसकार्ट जैसे सफल उदाहरण दिखाते हैं, यह दर्शाते हुए कि कैसे उन्होंने वस्तुओं को मूल्यवर्धित उत्पादों और सेवाओं में बदल दिया।

अनुसंधान और उद्योग सहयोग:

• अंग्रेजी भाषा के लाभ का लाभ उठाना: अंग्रेजी भाषा कौशल में भारत के लाभ को पहचानते हुए, पुस्तक शिक्षा में निवेश बढ़ाने और उच्च शिक्षा संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर देती है। यह सहयोग भारत को अनुसंधान और विकास, विशेषकर प्रौद्योगिकी-संबंधित क्षेत्रों में अनुकूल स्थिति में ला सकता है।

स्वास्थ्य सेवा सुधार:

• स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार: भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कमियों को उजागर करते हुए, लेखक अरविंद आई हॉस्पिटल जैसे संस्थानों में तकनीकी प्रगति के महत्व को रेखांकित करते हैं। वे पारंपरिक चिकित्सा चिकित्सकों पर दबाव कम करने के लिए अधिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को कुशल बनाने की वकालत करते हैं।

मात्रा से अधिक गुणवत्ता:

• गुणवत्ता पर जोर: पुस्तक में गुणवत्ता से अधिक मात्रा पर भारत के ऐतिहासिक जोर को चुनौती दी गई है। यह वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल देता है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी फोकस:

• भारत की डिजिटल ताकत: डिजिटल प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति की सराहना करते हुए, पुस्तक भारत डिजिटल स्टैक के समान स्वास्थ्य स्टैक स्थापित करके अन्य क्षेत्रों में इन नवाचारों का विस्तार करने का सुझाव देती है। इस कदम का उद्देश्य समग्र सुधार के लिए सभी सेवाओं में पारदर्शिता, माप और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

भारत के भविष्य की पुनर्कल्पना:

• अतीत के प्रतिमानों से दूर हटना: यह पुस्तक पारंपरिक दृष्टिकोण से हटने का आग्रह करते हुए समाप्त होती है, जिसमें न केवल आर्थिक शक्ति के निर्माण की तात्कालिकता पर जोर दिया गया है, बल्कि भारत के आशाजनक भविष्य के लिए सॉफ्ट पावर की खेती भी की गई है। यह भारत को आगे बढ़ाने के लिए मानसिकता और रणनीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता पर जोर देता है।

पुस्तक का अंतिम अध्याय, प्रश्नोत्तर प्रारूप को अपनाते हुए, पाठकों को स्थापित रूपरेखाओं और मॉडलों पर पुनर्विचार करने की चुनौती देता है, जो हिंद स्वराज में महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना और भारत के भविष्य के प्रक्षेप पथ की पुनर्कल्पना को प्रेरित करना है।

परिवर्तन की आवश्यकता हवा में है

लेख में भारत की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान जलवायु अनुकूलन वित्तपोषण और आवश्यक वास्तविक वित्तपोषण के बीच पर्याप्त अंतर पर प्रकाश डाला गया है। इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देश की पहल पर चर्चा की गई है, प्रदूषण के मुद्दों के समाधान के लिए सरकारों और उद्योगों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान करते हुए टिकाऊ प्रथाओं और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

• अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट के निष्कर्ष:

• विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन के लिए सालाना 215 अरब डॉलर की जरूरत है।

• वर्तमान फंडिंग आवंटन 21 बिलियन डॉलर है, जो एक महत्वपूर्ण कमी है।

• भारतीय निगमों के लिए निहितार्थ:

• हरित प्रौद्योगिकियों और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं में निवेश की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया।

• भारत में कार्यरत निगमों के बीच कार्बन फुटप्रिंट को कम करने को प्रोत्साहित करता है।

• भारत की जलवायु प्रतिक्रिया:

• पार्टिकुलेट मैटर पर गुजरात की उत्सर्जन व्यापार योजना जैसी अभिनव पहल।

• राष्ट्रीय लक्ष्य: 2030 तक 50% गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा, 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य।

• सौर, पवन ऊर्जा में प्रगति, और फ्लोटिंग सौर और अपतटीय पवन जैसी नई प्रौद्योगिकियों में निवेश।

• • प्रदूषण को संबोधित करना - सरकारी पहल:

• स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए कड़े नियम और पारदर्शी दिशानिर्देश लागू करना।

• पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन की पेशकश।

• सतत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

• प्रभावी जलवायु वित्त तंत्र की स्थापना।

• सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा:

• प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना।

• नागरिकों और निगमों को स्वच्छ ऊर्जा समाधान अपनाने के महत्व के बारे में शिक्षित करना।

प्रीलिम्स ब्लास्टर

चौबीसों घंटे हरित ऊर्जा की सहायता के लिए सीएसपी की वापसी

सरकारी स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी, संकेंद्रित सौर ऊर्जा (सीएसपी) में रुचि पुनर्जीवित कर रही है और सीएसपी संयंत्र स्थापित करने के बारे में पूछताछ करने पर कंपनियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है।

- 🌞 **केंद्रित सौर ऊर्जा (सीएसपी) अवलोकन:**
  - सीएसपी सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए दर्पणों का उपयोग करता है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है जो बिजली के लिए टरबाइन चलाती है, प्रौद्योगिकी गर्मी भंडारण की अनुमति देती है, जिससे सूरज की रोशनी के बिना भी निरंतर उपयोग सुनिश्चित होता है।

- 🌍 **सीएसपी के लाभ:**
  - नवीकरणीय और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत, कार्बन पदचिह्न को कम करना।
  - सौर पीवी और पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक निरंतर बिजली प्रदान करता है।
  - मौजूदा भाप-आधारित बिजली संयंत्रों में आसानी से एकीकृत हो जाता है और इसकी परिचालन लागत कम होती है।

- 🚫 **सीएसपी के नुकसान:**
  - स्थान-निर्भर और पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है, जिससे आबादी वाले क्षेत्रों में यह अलाभकारी हो जाता है।
  - बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करता है, शीतलन के लिए चुनौतियाँ पेश करता है और संभावित रूप से आसपास के परिदृश्य को प्रभावित करता है।
  - उच्च कीमत वाली थर्मल ऊर्जा भंडारण सामग्री और अन्य ऊर्जा स्रोतों से प्रतिस्पर्धा के कारण महंगी परिचालन लागत।

भारत हरित ऊर्जा में परिवर्तन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण संघ में शामिल हो गया है

- 🌐 2023 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP28) में एक महत्वपूर्ण विकास में, भारत आधिकारिक तौर पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) कंसोर्टियम का सदस्य बन गया है, जो ग्लोबल एनर्जी एलायंस के ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। लोग और ग्रह (GEAPP)।

- 🌍 कंसोर्टियम में भारत का प्रवेश टिकाऊ ऊर्जा समाधानों की दिशा में एक अग्रणी कदम है, जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की देश की प्रतिबद्धता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के दृढ़ संकल्प के साथ संरेखित है।

- 🌱 कंसोर्टियम का प्राथमिक उद्देश्य भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप, 2024 के अंत तक 5 गीगावॉट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की संयुक्त प्रतिबद्धता हासिल करना है।

हरे बनाम नीले हाइड्रोजन के बारे में

- 💧जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में हाइड्रोजन को एक गेम चेंजर के रूप में देखा जाता है, विशेष रूप से इस्पात निर्माण, रासायनिक उत्पादन, विमानन, शिपिंग और भारी परिवहन जैसे "कठिन-निवारक" क्षेत्रों में, हाइड्रोजन उत्पादन की दो धाराएँ सक्रिय रूप से होती हैं माना जाता है: नीला और हरा हाइड्रोजन।

- 🔵 ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस से भाप मीथेन सुधार जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय-ईंधन वाले जल इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है, बाद वाले को स्वच्छ हाइड्रोजन का सबसे जल-कुशल रूप माना जाता है, जैसा कि जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) और ब्लूरिस्क द्वारा सीओपी 28, जल सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए हरित हाइड्रोजन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देता है।

- 🌍 भविष्य के ईंधन के रूप में नीले या हरे हाइड्रोजन की उपयुक्तता इस बात पर आधारित है कि उनके उत्पादन के लिए कितने पानी की खपत होती है, वैश्विक विशेषज्ञों ने 2050 तक हाइड्रोजन उत्पादन के लिए मीठे पानी की निकासी में छह गुना वृद्धि का अनुमान लगाया है।

चीन के नेतृत्व वाले आरसीईपी में बांग्लादेश के शामिल होने के डर से भारत ढाका के साथ एफटीए पर पुनर्विचार कर सकता है

- 🇧🇩 अगले साल की शुरुआत में आम चुनाव के बाद आरसीईपी में शामिल होने की ढाका की मंशा ने भारत के लिए चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बांग्लादेश पहले से ही भारत की तुलना में चीन से काफी अधिक आयात करता है, और भारतीय अधिकारी बांग्लादेश के प्रवेश पर चीनी आयात में संभावित वृद्धि को लेकर सतर्क हैं। आरसीईपी.

- 🤝 भारत-बांग्लादेश एफटीए संभावित रूप से मूल नियमों (आरओओ) को दरकिनार करते हुए एफटीए मार्ग के माध्यम से बांग्लादेश से भारत में चीनी सामानों के प्रवाह को सुविधाजनक बना सकता है, जो भारतीय उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पैदा कर सकता है।

- 🏷️ उत्पत्ति के नियम महत्वपूर्ण मानदंड हैं जिनका उपयोग किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो कर्तव्यों, प्रतिबंधों और व्यापार नीतियों को प्रभावित करता है।

- 🌍 सरकारें अपनी प्रथाओं में भिन्न होती हैं, कुछ पर्याप्त परिवर्तन, टैरिफ वर्गीकरण में परिवर्तन, यथामूल्य प्रतिशत, या विनिर्माण/प्रसंस्करण संचालन की कसौटी को लागू करती हैं।

- 📊 उत्पत्ति के नियमों का उपयोग वाणिज्यिक नीति उपायों को लागू करने, आयातित उत्पादों के लिए अधिमान्य उपचार निर्धारित करने, व्यापार सांख्यिकी, लेबलिंग और अंकन आवश्यकताओं और सरकारी खरीद के लिए किया जाता है।

- 📜 GATT के पास अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में माल की उत्पत्ति के देश के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट नियम नहीं हैं, जो प्रत्येक अनुबंध करने वाले पक्ष को विशेष विनियमन के उद्देश्य के आधार पर अपने स्वयं के मूल नियमों को निर्धारित करने की अनुमति देता है।

भारत 'प्रोटोकॉल शिपिंग रूट' विकसित करने के लिए बांग्लादेश के साथ सहयोग कर रहा है

- 🚢 भारत भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के साथ कार्गो आंदोलन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसका लक्ष्य तटीय जल का उपयोग करना, बांग्लादेश में मोंगला और चट्टोग्राम बंदरगाहों तक पहुंच और उपयोग बढ़ाना और अंतर्देशीय जलमार्ग मार्गों के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार करना है।

- 🤝 प्रोटोकॉल मार्ग के तहत, पारगमन और अंतर-देशीय व्यापार दोनों के लिए भारतीय और बांग्लादेशी जहाजों द्वारा 50:50 कार्गो शेयरिंग की अनुमति है।

चवित्तुनतकम् प्रदर्शन

केंद्र स्तर पर ले जाना

केरल भर में **कुदुम्बश्री इकाइयों** की 500 से अधिक महिलाओं ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए रविवार को कोच्चि के दरबार हॉल मैदान में **चवित्तुनाटकम प्रदर्शन - एक लोक थिएटर कला** - का मंचन किया। प्रदर्शन में महिला समूह की 25 साल की यात्रा को दर्शाया गया, जिसने राज्य में गरीबी से लड़ने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशंसा हासिल की है।

Image sorce : The Hindu